कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक
सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकरी, रामगढ़।

ज्ञापांक.............. रामगढ़ / दिनांक..................

(अल्पकालीन निविदा)

स्वा0 विभाग, रामगढ़ जिलांतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिये आई0ई0सी0 मुद्रण, म ीन–उपकरण, उपस्कर एवं सामग्री आपूर्ति एवं दवा इत्यादि के क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

01. निविदा मूल प्रति में दिनांक 28.01.2020 तक कार्यालय अवधि (अपराहन् 05.00 बजे तक) में सिविल सर्जन, रामगढ़ के कार्यालय में निबंधित डाक से प्राप्त किया जायेगा। निविदा दिनांक 29.01.2020 को अपराहन् 02.00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, उक्त समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। प्रतिनिधि के संबंध में निविदादाता द्वारा प्राधिकार पत्र साथ में लाना होगा।
02. निविदा द्वी लिफाफा पद्धति (Double Bid System) के अंतर्गत (1) तकनीकि निविदा एवं (2) वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में तत्प चात् दोनों को एक मुहरबंद लिफाफे में प्राप्त की जायेगी। तकनीकि निविदा में सफल आपूर्तिकत्ताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
03. तकनीकि निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 1,00,000/– (एक लाख) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो District Rural Health Society, Ramgarh नाम से देय होगा, संलग्न करना होगा।
04. निर्माता कंपनी का स्वयं अथवा प्राधिकृत विक्रेताओं को निर्माता कंपनी का एतद् संबंधी शपथ पत्र (Affidavit in Original Copy, Issued by the 1st class Magistrate) निविदा प्रका ान की तिथि के बाद का संलग्न करना होगा कि :– 01. निविदा में अंकित निर्माता कंपनी वर्त्तमान में म ीन – उपकरण, उपस्कर एवं सामग्री आपूर्ति एवं दवा ईत्यादि का निर्माण कर रही है एवं कंपनी रूग्नावस्था एवं काली सूची में दर्ज नहीं है। 02. जितनी मात्रा में जिस आईटम का आपूर्ति आदे ा निर्गत किया जायेगा उसे हर हाल में आपूर्ति की जायेगी 03. निविदादाता/कंपनी किसी भी प्रकार के अनियमित कार्य के लिये स्वयं जिम्मेवार होंगे और उसके लिये वैद्यानिक कार्रवाई करने हेतु सिविल सर्जन, रामगढ़ स्वतंत्र होंगे।
05. तकनीकि निविदा के साथ 1. अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट, 2. वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का (a) आयकर रिर्टन (b), Annual Turnover the Firm/Company should be of Minimum 50 Lakh (Fifty Lakh) in each of the last three Financial Year i.e 2016-17, 2017-18, & 2018-19. Complete Audited annual report showing details of their annual turnover for last three consecutive financial Year must be submitted. (Auditor/ C.A Certificate of turnover will not be accepted.) (c) Balance Sheet (d) Pan No. (e) झारखंड वाणिज्यकर/वैट रजिस्ट्रे ान सर्टिफिकेट (f) अद्यतन वाणिज्यकर/वैट चुकता प्रमाण पत्र (स्वच्छता प्रमाण पत्र) संलग्न करना होगा।
06. निर्माणकर्त्ता/प्रतिष्ठानों/प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा वित्तीय निविदा में अंकित दर सभी करों सहित होना चाहिये।
07. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेज स्व–अभिप्रमाणित होना चाहिये।
08. वैसे आईटम्स जिसका Installation किया जाना है, उसे निविदादाता द्वारा संबंधित संस्थानों में अपने व्यय पर Install करना होगा।
09. क्रय किये जाने वाले म ीन – उपकरण के लिये AMC का दर प्रतिवर्ष के हिसाब से अंकित करना होगा, जो Installation के तिथि से प्रभावी होगा। AMC की अवधि कितने वर्ष की होगी इसका निर्णय सिविल सर्जन, द्वारा बाद में लिया जायेगा, जिसकी सूचना आपूर्तिकर्त्ता को दे दी जायेगी तत्प चात AMC के शर्तों का अनुपालन करने संबंधी बंध पत्र (Bond paper) समर्पित करना होगा।

10. आपूर्ति किये जाने वाली आईटम्स के साथ कंपनी के द्वारा निर्गत गारंटी/वारंटी कार्ड संलग्न करना होगा।
11. ISO 9001: 2008 + ISO 13485: 2012 , ISO 14001:2004, CE, WHO (GMP) द्वारा प्रमाणित म ीन – उपकरण, उपस्कर एवं सामग्री इत्यादि का ही आपूर्ति स्वीकार किया जायेगा (Consumable & Office Furniture Items के मामले में WHO(GMP) द्वारा प्रमाणित की आवश्यकता नहीं है।) इससे संबंधित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने की स्थिति में निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. Bidder/निविदादाता को Firm ISO 9001: 2008 द्वारा प्रमाणित होना चाहिये जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। आई0ई0सी0 को छोडकर।
13. आपूर्ति किये जाने वाले आईटम्स का कोई वि ोष गुणवत्ता हो तो Remarks (अभ्युक्ति) कॉलम में अंकित कर सकते हैं साथ ही Catalogue संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. आपूर्ति आदे ा के विरूद्ध आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा पूरी मात्रा में म ीन– उपकरण, उपस्कर एवं सामग्री ईत्यादि का आपूर्ति के उपरांत ही विपत्र का भुगतान कोषागार से पारित होने के बाद किया जायेगा। (आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा विपत्र का भुगतान करने हेतु कार्यालय को विपत्र प्रस्तुत करते समय विपत्र में सभी कर अलग से अंकित करना होगा ताकि करों का भुगतान संबंधित कर विभाग को सीधे तौर पर की जा सके)।
15. वित्तीय निविदा में अंकित दर Excel Format में Computerised होना चाहिये, जिसका सी0डी0 (Soft Copy) निविदादाता के द्वारा हस्ताक्षरित संलगन करना होगा। हाथ से लिखित निविदा मान्य नहीं होगा।
16. वित्तीय निविदा की सूची में अंकित सभी आईटम्स का क्रम संख्या परिमाण विपत्र के अनुरूप होना चाहिये, जिस आईटम्स का दर अंकित नहीं हो उस कॉलम को Cross (X) का नि ान लगा होना चाहिये।
17. वित्तीय निविदा के अंतिम पृष्ठ पर निविदादाता के द्वारा इस आ ाय का प्रमाण अंकित किया जायेगा कि "प्रमाणित किया जाता है कि हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में अंकित दर में कोई भी भिन्नता नहीं है।"
18. सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदे ों के अनुरूप विपत्र से कर की कटौती की जायेगी।
19. किसी भी परिस्थिति में Cutting or Overwriting मान्य नहीं होगा।
20. निविदादाता के द्वारा तकनीकि निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का चेकलिस्ट (विवरणी) पेज नंबर अंकित कर सूची संलग्न करना होगा ताकि पेज नंबर वाईज अभिलेखों का स्क्रूटनी किया जा सके।
21. आपूर्तिकर्त्ता को क्रय आदे ा प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अपने व्यय पर अधोहस्ताक्षरी के भंडार गृह तक आपूर्ति करना होगा, इसके लिये अन्य कोई रा ि नहीं दिया जायेगा ऐसा नहीं करने पर अग्रधन रा ि को जब्त कर ली जा सकती है।
22. आपूर्तिकर्त्ता को छोटी से छोटी मात्रा भी आपूर्ति करनी होगी।
23. वैद्यानिक मामलों का निष्पादन हेतु न्यायायिक क्षेत्र रामगढ़ होगा।
24. किसी भी आईटम्स के दर में सं ोधन का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
25. बिना कारण बताये किसी भी निविदा या पूरी निविदा को रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक
सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
रामगढ़।